



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर श्रीम
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प श्री 5

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी श्रीम व भू.अभि.नि. कागदों की रिपोर्ट तथा तहसीलदार श्रीम / नायब तहसीलदार श्रीम की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम लीटरी तहसील श्रीम व जिला राजस्थान की जमाबंदी सम्वत् 2018 में खाता संख्या 145 व 146 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	लीटरी	145	① उमला पुत्री धारी ② कुन्दुरी पुत्री धारी	① उमला पुत्री धारी ② कुन्दुरी पुत्री धारी
		146	③ धन्नी देवी पुत्री धारी ④ सकु देवी पुत्री धारी जाति बलीक	③ धन्नी पुत्री धारी ④ सकु देवी पुत्री धारी जाति बलीक

(श्रीम)

राजस्थान सरकार

उपखण्ड अधिकारी, भीम

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा.कलक्टर

दिनांक:-

क्रमांक:- 2026/74

प्रतिलिपि:-

01. तहसीलदार श्रीम को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
02. प्रार्थी श्री उमला, कुन्दुरी, धन्नी, सकु देवी पुत्री धारी को सूचनाथ।
03. रक्षित पत्रावली।

राजस्थान सरकार

उपखण्ड अधिकारी, भीम

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा.कलक्टर

